प्रेस नोट

अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के आरोप में वांछित 2 अभियुक्त यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार

<u>गुड़गाँव व वाराणसी से हुई दोनों की गिरफ्तारियाँ</u>

दिनांक : 13 फरवरी, 2020

अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित करने के दो आरोपियों को दिनांक 12.02.20 को यूपी एटीएस की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह दोनों अभियुक्त थाना एटीएस पर दर्ज **मु.अ.सं. 2/19, धारा – 419, 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भा.द.वि., 3/6 भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट व 4/20/25 भारतीय टेलीग्राफ एक्ट** में वांछित चल रहे थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. **अभिषेक दीक्षित पुत्र पवन कुमार दीक्षित**
   निवासी : डी-506/1, गली नं- 3, अशोक नगर, नन्द नगरी, शाहदरा, दिल्ली।
2. **अनुराग जायसवाल पुत्र राम चन्द्र जायसवाल**
   निवासी : पुरानी मिर्ची, थाना- फूलपुर, आजमगढ़
   हाल पता : 6/406 महादेव काम्प्लेक्स, रामदेव पार्क रोड, एम.बी.एम.सी. गार्डन, रामदेव पार्क, मीरा भयंदर, थाणे, महाराष्ट्र।

गिरफ्तार अभियुक्त

अनुराग **अभिषेक**

ज्ञातव्य है कि 4 अप्रैल 2019 को लखनऊ के विभूति खंड, गोमतीनगर क्षेत्र से अवैध टेलीफ़ोन एक्सचेंज चलाने के आरोप में दो अभियुक्त 1. अनिल यादव 2. अंशु यादव को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के क्रम में अनिल व अंशु ने बताया था कि यह कार्य उन्होंने अभिषेक और अनुराग के साथ मिलकर ही शुरू किया था तथा इस अवैध एक्सचेंज का संचालन अनुराग और अभिषेक करवाते थे। पूछताछ में उपरोक्त दोनों का नाम प्रकाश में आने के बाद से ही दोनों अभियुक्त वांछित चल रहे थे।